1.2 कम्पनी का अंन्तिम खाता

सभी व्यावसायिक संस्थान अपना अन्तिम खाता तैयार करते हैं। किन्तु एकांकी व्यापार एवं साझेदारी में अन्तिम खाता तैयार करने की अनिवार्यता नहीं है। इसके विपरीत एक कम्पनी के लिए यह अनिवार्य है कि वह कम्पनी अधिनियम की धारा 211 एवं सेड्यूल VI के अनुसार अपना अन्तिम खाता तैयार करें।

लाभ हानि खाता एक निश्चित लेखा अवधि के बाद तैयार किया जाता है। इसे आय विवरण या उपार्जन विवरण भी कहते हैं। यह एक प्रतिवेदन है, जो कम्पनी की सफलता को मापता है। यह एक खास अवधि के लिए तैयार किया जाता है। आर्थिक चिट्ठा एक खास अवधि के अन्त में व्यावसायिक संस्था के विनियोग, साधन, दायित्व एवं अंशधारियों की पूँजी को प्रस्तुत करता है।

Scanned with CamScanner

एक संयुक्त पूँजीवाली कम्पनी में जो लाभ हानि की रकम होती है उसे पूँजी खाते में सीधे स्थानान्तरित नहीं करते हैं, बल्कि उसके पहले कई वैधानिक अनिवार्यता को पूरा करते हैं। इसके लिए एक लाभ हानि समायोजन खाता बनाया जाता है। अतः एक कम्पनी की सभी लेखा विधि को हमलोग निम्नलिखित शीर्षक में अध्ययन करेंगे--

(1) लाभ हानि खाता

(2) लाभ हानि समायोजन खाता

(3) आर्थिक चिट्ठा

(4) अन्तिम खाते की स्वीकृति

1.2.1 लाभ हानि खाता :

कम्पनी अधिनियम की धारा 211(2) के अनुसार प्रत्येक कम्पनी का लाभ हानि खाता कम्पनी के वित्तीय वर्ष के सच्चे व उचित चित्र प्रस्तुत करता है। एक गैर-व्यावसायिक संस्थान में आय-व्यय खाता तैयार किया जाता है। किन्तु ये प्रावधान बैंकिंग कम्पनी, बीमा कम्पनी, रेल, गैस या बिजली कम्पनी में लागू नहीं होते हैं।

अनुसूची 6 का द्वितीय भाग

लाभ हानि खाता बनाने के लिए अनुसूची 6 का द्वितीय भाग बहुत महत्त्व रखता है। इसके मुख्य प्रावधान को हमलोग यहाँ पर संक्षेप में लिखेंगे। लाभ-हानि खाता में विभिन्न आय और व्यय के मद लिखे जाते हैं जिससे उस अवधि के लाभ हानि का सही ज्ञान प्राप्त हो सके तथा इससे निम्नांकित विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके

(1) कुल विक्रय सकल लाभ जो व्यापार से हुआ है,

(2) कुल क्रय,

(3) प्रारम्भिक एवं अन्तिम रहतिया,

(4) कार्य जो प्रगति पर है प्रारम्भ और अन्त में,

(5) स्टोर एवं अन्य माल की खपत

(6) शक्ति एवं जलावन,

(7) मजदूरी एवं वेतन तथा बोनस

(8) प्रॉवीडेंट फण्ड और अन्य संचयों के लिए किया गया खर्च,

(9) कर्मचारियों के कल्याण पर किया गया खर्च,

(10) बिक्री अभिकर्त्ता का कमीशन,

(11) ह्रास के लिए प्रावधान,

(12) ऋण पत्रों एवं ऋण पर सूद,

Scanned with CamScanner

(13) विशेष दायित्वों के भुगतान के लिए किया गया संचय,

(14) मकान किराया, मरम्मत इत्यादि पर किये गये व्यय,

(15) व्यवसाय कम्पनी या संस्था से सम्बन्धित सभी व्यय,

(16) कर, लगान, पारिश्रमिक कमीशन एवं आयकर इत्यादि का विवरण देना है। इसी प्रकार आय के विभिन्न मदों को भी लिखना पड़ता है।

आय के विभिन्न मदों को भी दिखाया जाता है, जैसे-

(1) विनियोग पर प्राप्त आय,

(2) सूद,

(3) सहायक कम्पनी से लाभांश।

कम्पनी अधिनियम में कोई प्रारूप अनिवार्य नहीं किया गया है। किन्तु केन्द्रीय सरकार अगर चाहे तो किसी भी कम्पनी को आज्ञा दे सकती है कि वह अपने लाभ हानि खाते की बनाते समय अनुसूची 6 के भाग 2 में दो सूचनाओं को न माने, परन्तु यह आज्ञा केवल राष्ट्रहित में ही दी जा सकती है।

एक उत्पादक कम्पनी में कच्चे माल की खपत का पूर्ण विवरण देना आवश्यक हे।

अगर कम्पनी का विस्तार हो रहा है तो विशेष ह्रास का पूर्ण विवरण देना चाहिए। धारा 350 के अनुसार लाभ हानि खाता को ह्रास का पूर्ण विवरण देना चाहिए तथ आयकर अधिनियम 1961 को भी ध्यान में रखना चाहिए।

ऋण पत्र पर सूद वार्षिक खर्च है। किन्तु ऋण पत्र जारी करने पर जो व्यय है वह पूँजीगत व्यय है। इसका भुगतान लाभ हानि खाते से प्रतिवर्ष होना चाहिए।

प्रबन्धकीय पारिश्रमिक :

कम्पनी के लाभ हानि खाता बनाते समय प्रबन्धकीय पारिश्रमिक को विशेष ध्यान से निकाला जाता है। धारा 179(A) के अनुसार एक कम्पनी निम्न पदाधिकारियों में से किसी एक को ही नियुक्त कर सकती है

(1) प्रबन्ध निदेशक

(2) प्रबन्ध एजेन्ट (अभिकर्त्ता)

(3) सचिव

(4) मैनेजर

अधिकतम और न्यूनतम पारिश्रमिक धारा 158 के अनुसार एक सार्वजनिक कम्पनी (या एक निजी कम्पनी जो किसी सार्वजनिक कम्पनी की सहायक है) किसी भी वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभों में 11% से अधिक नहीं दे सकती है। परनतु 11% की गणना करते समय संचालकों को पारिश्रमिक तथा वह फीस जो संचालक मण्डल की सभा में भाग लेने के लिए दी जाती है, शामिल नहीं की जाती है।

Scanned with CamScanner

जहाँ तक न्यूनतम पारिश्रमिक का प्रश्न है, कम्पनी लॉ बोर्ड की स्वीकृति से कम लाभ होने पर 50,000 रु० तक प्रतिवर्ष दे सकती है। इस न्यूनतम राशि 50,000 रु० के अतिरिक्त संचालकों को सभा में उपस्थित होने की फीस अलग से दी जा सकती है। प्रबन्धकीय पारिश्रमिक में अनुलाभों को भी जोड़ा जाता है।

शुद्ध लाभ की गणना कम्पनी अधिनियम की धारा 349, 350 तथा 351 के द्वारा निर्धारित होती है।

संचालकों का पारिश्रमिक धारा 309 और 310 के अनुसार कम्पनी आवर्त नियमों के अनुसार दिया जाता है। एक निदेशक को संचालक या कमिटि में भाग लेने के लिए फीस दी जाती है। अगर करमपी में । निदेशक है तो शुद्ध लाभ का 5% और एक से अधिक होने पर शुद्ध लाभ का 10% दिया जा सकता है।

(यह वर्णन विस्तार से नहीं है। आप स्वीकृत पुस्तक को अवश्य पढ़ लें। केन्द्र सरकार के द्वारा कई नियमावली जारी की गयी हैं जो धारा 269, 310, 350, 351, 309, 198, 387 और 388 से सम्बन्धित हैं।)

Scanned with CamScanner